IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद

समन्वय अनुभाग

104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शक Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सख्या : /सम0अनु0/चिकि0 व्यय प्रति0/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

आवास आयुक्त महोदय के कार्यालय आदेश संख्या–880/सम0अनु0/चिकि0व्यय प्रतिपूर्ति दिनांक 26.07.2016 द्वारा परिषद में कार्यरत नियमित कार्मिकों को चिकित्सा अग्रिम/व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित है,किन्तु प्रायःयह देखने में आ रहा है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों का निस्तारण में अनावश्यक बिलम्ब होता है। उक्त कम में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिये गये है।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के आदेशान्तर्गत,नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम सम्बन्धी प्रकरणों का भुगतान करने हेतु संस्तुति करने के पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर लें,कि आवास आयुक्त द्वारा उक्त निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप बिन्दुवार समस्त औपचारिकताए पूर्ण है, तद्नुसार ही प्रस्ताव परिषद मुख्यालय को सन्दर्भित किए जाये।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

पृष्ठाकन संख्याः 353 /सम0अनु0चिकि0व्यय प्रतिपूर्ति/ 2017–18 दिनांक 17.5.17

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/निदेशक/संयुक्त/उप निदेशक/संयुक्त निबन्धक/वास्तुविद नियोजक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।
2. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त जोनल/सम्पत्ति प्रबन्धक,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।
3. निजी सचिव, मा0अध्यक्ष/आवास आयुक्त/सचिव/अपर आवास आयुक्त/वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी/संयुक्त/उप आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष/इंचार्ज अधिकारीगण,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी